


राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना
जयपुर, दिनांक 20 जून 2022

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 42 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु 20 जुलाई, 2020 से राज्य के लिए 01 अध्यक्ष व 10 सदस्यों की संरचना से मिलकर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जिसे राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा एवं राज्य आयोग की 06 प्रादेशिक शाखा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर एवं भरतपुर स्थापित करती है। राज्य आयोग का मुख्यालय जयपुर होगा।

क्रमांक एफ 89(9) उ.मा.वि./उ.स./2020/11

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(रामस्वरूप)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

Estt
3
22.6.22

